पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2275

दिनांक 14.09.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण।**
- **वाहन चोरी करने वाले 01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गयी।**

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री अवनीश कुमार पुत्र मौर्या निवासी ग्राम व पोस्ट अभियाकला जिला सुल्तानपुर हाल पता मौर्या होटल कैंसर हास्पीटल के द्वारा दिनांक 13.09.2025 को अज्ञात चोर द्वारा वादी का वाहन एचएफ डिलक्स वाहन संख्या UP44AB 2373 होटल कल्याण सिंह सुपर स्पेसलिटी कैंसर हास्पिटल के गेट नं0 03 के सामने मौर्या होटल के नाम से चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 818/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के क्रम में दिनाँक 14.09.2025 को मुखविर खास की सूचना पर सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त शालू यादव पुत्र राम सनेही निवासी ग्राम फिरोजाबाद पोस्ट बिबियापुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी उम्र करीब 24 वर्ष को अमूल डेयरी की तरफ जाने वाले रास्ते पर झाड़ियो के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त के पास से 01 अदद चोरी किये हुये मोटर साईकिल नं0 UP44AB 2373, चेचिस नम्बर MBLHA11AEE9B17353, इंजन नम्बर HA11EFE9B24793 बरामद किया गये जिसके के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 818/2025 धारा- 303(2) बीएनएस में पंजीकृत है।

मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुये समय 11.00 बजे प्रकाश में आये अभियुक्त शालू यादव उपरोक्त को हिरासत पुलिस लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. शालू यादव पुत्र राम सनेही निवासी ग्राम फिरोजाबाद पोस्ट बिबियापुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी उम्र करीब 24 वर्ष

03-अनावरित अभियोग-

1.मु0अ0सं0- 818/2025 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ

04- नाम पता अभियुक्त -

01. शालू यादव पुत्र राम सनेही निवासी ग्राम फिरोजाबाद पोस्ट बिबियापुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी उम्र करीब 24 वर्ष

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2270
दिनांक-14.09.2025

जोन-उत्तरी/ थाना –रहीमाबाद

- **थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक रहीमाबाद जनपद लखनऊ के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा वारण्टी **01. रामकिशोर यादव पुत्र छोटी उर्फ छोटेलाल उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम रघुनाथखेड़ा मजरा ससपन थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ** उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी व उक्त गिरफ्तारी वारण्ट वाद संख्या 17818/2025 मु0अ0सं0 426/2014 धारा 323/504/506 भादवि थाना मलिहाबाद (वर्तमान थाना रहीमाबाद) जनपद लखनऊ व **02. रामकुमार पुत्र महाबली निवासी ग्राम रहीमाबाद थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ** उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी व उक्त गिरफ्तारी वारण्ट वाद संख्या 1427/2006 मु0अ0सं0 285/2005 धारा 279/338/427/304ए भादवि थाना मलिहाबाद (वर्तमान थाना रहीमाबाद) जनपद लखनऊ से अवगत कराते हुए बाजाफ्ता बाकायदा हिरासत पुलिस में लिया।

दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुये। वारण्टीगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार वारण्टीगण का विवरणः-

01. रामकिशोर यादव पुत्र छोटी उर्फ छोटेलाल निवासी ग्राम रघुनाथखेड़ा मजरा ससपन थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 42 वर्ष

02. रामकुमार पुत्र महाबली निवासी ग्राम रहीमाबाद थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 44 वर्ष

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

01.व0उ0नि0 उमेश यादव थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।
02.उ0नि0 संदीप कुमार थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।
03.उ0नि0 आशीष कुमार शुक्ला थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।
04.उ0नि0 संध्या पटेल थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।
05.आरक्षी पवन कुमार थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।
06.आरक्षी धर्मेश कुमार थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।
07.आरक्षी सुरेश कुमार गौतम थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।
08.आरक्षी अंकित सैनी थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।

05-बरामदगी:

- वादी के अकाउंट से फ्राड निकाले गये 60,000/- (साठ हजार) रुपये (अभियुक्त के बैंक खाते में होल्ड)।

06-गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण—

1- प्रभारी निरीक्षक श्रीकान्त राय थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ

2- निरीक्षक बैजनाथ सिंह नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ

3- म0उ0नि0 स्वाति चौधरी थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ

4- का0 अभिषेक त्रिपाठी थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ

साइबर सुरक्षा जागरूकता: लखनऊ पुलिस की जनता से अपील

थाना नाका हिण्डोला पुलिस की इस सफल गिरफ्तारी के बाद, नागरिकों से निम्नलिखित सावधानियां बरतने का अनुरोध है:-

1. **निजी जानकारी गोपनीय रखें:** किसी अज्ञात व्यक्ति या अनाधिकृत वेबसाइट को अपना **आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता नंबर, ओटीपी (OTP), या इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड** कभी न बताएं और न ही साझा करें।
2. **'नौकरी के झांसे' में न आएं:** ऑनलाइन मिलने वाले ऐसे प्रस्तावों पर संदेह करें जो "आसान काम और ज्यादा पैसा" या "नौकरी की गारंटी" का वादा करते हैं। वास्तविक कंपनियां नौकरी देने से पहले बैंक विवरण या पैसे की मांग नहीं करतीं।
3. **अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें:** किसी भी अनजान नंबर या ईमेल से प्राप्त लिंक्स या अटैचमेंट्स पर क्लिक न करें, जो आपके व्यक्तिगत विवरण मांगते हों।
4. **तुरंत रिपोर्ट करें:** यदि आप या आपके परिचित किसी साइबर ठगी का शिकार हो जाएं, तो बिना देरी करे **तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930** पर कॉल करें या नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं। शिकायत करने में देरी करने से अपराधियों के लिए पैसे का पता लगाना और उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाता है।

याद रखें: सतर्कता ही सुरक्षा है। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2271
दिनांक-14.09.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-नाका

- **नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले साइबर अपराधी को किया गया गिरफ्तार।**
- **वादी के अकाउंट से फ्राड निकाले गये 60,000/- (साठ हजार) रुपये (अभियुक्त के बैंक खाते में होल्ड) ।**
- **थाना नाका पुलिस की कार्यवाही।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय पर वादी राजीव सिह कुशवाहा पुत्र स्व0 सतपाल सिंह कुशवाहा निवासी सैनिक कालोनी नगलादीना फतेहगढ जनपद फरूखाबाद द्वारा दिनांक 06.09.2025 को साइबर फ्राड करके वादी के खाते से 60 हजार रूपये निकल जाने के संबंध सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 173/2025 धारा 318(4) बी0एन0एस व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मुकदमा उपरोक्त से संबंधित साइबर अभियुक्त **मो0 मोनिश पुत्र मो0 अनीश निवासी मोहल्ला भट्ठा चमेली मस्जिद के पास थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर** को आज दिनांक 13.09.2025 को नाका चौराहा से समय 21.25 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त का बैक खाता फ्रीज कराया गया वर्तमान समय में वादी मुकदमा का 60,000/- रूपये अभियुक्त के खाते में होल्ड है नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त मो0 मोनिश पुत्र मो0 अनीश निवासी मोहल्ला भट्ठा चमेली मस्जिद के पास थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर द्वारा पूछताछ मे बताया कि वह पहले युवको से दोस्ती करता है फिर नौकरी दिलाने के नाम पर उनके आधार कार्ड , पैन कार्ड , खाते मे दर्ज मोबाइल नं0 ले लेता है फिर अभियुक्त द्वारा संबंधित व्यक्ति के खाते को हैक करके उनके खाते से रूपये निकाल लेता है संबंधित व्यक्ति द्वारा रूपये व नौकरी की बात कही जाती है तो अन्य प्रक्रिया की बात कहते हुये और रूपयो की डिमांड करता है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

- **नाम:** मोहम्मद मोनिश
- **पिता का नाम:** मोहम्मद अनीश
- **निवासी:** मोहल्ला भट्ठा चमेली मस्जिद के पास, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर

04-पंजीकृत/ अनावरित अभियोग:

01-मुकदमा अपराध सं0-173/2025, धारा 318(4) बी.एन.एस.एस. व धारा 66डी आई.टी. एक्ट, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2277

दिनांक-14.09.2025

जोन- उत्तरी / थाना- जानकीपुरम

- **थाना जानकीपुरम पुलिस द्वारा नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को किया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 14.09.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा शिकायत किया गया कि विपक्षी द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र 15 वर्ष को गलत इरादे से हाथ पकड लिया है तथा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी है। तत्काल उपरोक्त शिकायत पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 0212/2025 धारा 74//352/351(2)BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम इरसाद पंजीकृत कर विवेचना म0उ0नि0 शिवानी वर्मा को सुपुर्द हुई।

दिनांक 14.09.2025 को म0उ0नि0 शिवानी वर्मा मय हमराह क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त भिटौली क्रासिंग के पास शराब के ठेके के पास मौजूद है। जिसे एकबारगी दविश देकर अभियुक्त इरसाद उर्फ दादू पुत्र स्व0 सरदार निवासी 3/1444 थाना जानकीपुरम लखनऊ को अन्तर्गत धारा 74//352/351(2) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट में देशी शराब का ठेका भिटौली क्रासिंग से गिरफ्तार कर मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानो व जनपदो से जानकारी की जा रही है ।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. इरशाद उर्फ दादु पुत्र स्व0 सरदार अली निवासी म0नं0-3/1444 सेक्टर 03 जानकीपुरम विस्तार जानकीपुरम लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष (व्यवसाय –ई-रिक्सा चालक) ।

03-अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 323/19 धारा 354क/376/506भादवि0 व भादवि0 व ¾ पाक्सो एक्ट थाना जानकीपुरम
2. मु0अ0स0 0196/2025 धारा 191(2)/351(2)/352 BNS थाना जानकीपुरम लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना जानकीपुरम

1. म0उ0नि0 शिवानी वर्मा
2. उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार
3. का0 गोविन्द सिंह
4. का0 रविशंकर

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2269
दिनांक-14.09.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद लखनऊ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी प्रपत्र सम्बन्धित वाद सं0- 699/11 अ0सं0 341/10 धारा 354/323/506 भादवि व 3(1)XI sc/st act थाना इटौंजा से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी अनुज शर्मा पुत्र राजाराम उर्फ नन्हके निवासी कस्बा इटौजा लखनऊ उम्र 33 बर्ष को उसके घर से गिरफ्तारी अधिपत्र दिखाते हुए थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14/09/2025 को हिरासत पुलिस लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका:-

मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन न करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. अनुज शर्मा पुत्र राजाराम उर्फ नन्हके निवासी कस्बा इटौजा लखनऊ उम्र 33 बर्ष (व्यवसाय- निल)

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार भारती थाना इटौंजा लखनऊ
2. का0 फय्यूम अहमद थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2273
दिनांक 14.09.2025

मध्य जोन/थाना हुसैनगंज

- **05 एनबीडब्लू/वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा की गयी बडी कार्यवाही।**

01-कार्यवाही:-

पुलिस आयुक्त महोदय एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) महोदय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत, अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा वांछित एनबीडब्लू अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु थाना हुसैनगंज पुलिस टीम ने बडी कार्यवाही की है।

पुलिस उपायुक्त (मध्य) के कुशल मार्गदर्शन, अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) एवं सहायक पुलिस आयुक्त, हजरतगंज के निर्देशन तथा थानाध्यक्ष शिव मंगल सिंह के नेतृत्व में संचालित इस विशेष अभियान में, थाना हुसैनगंज की पुलिस टीम ने माननीय न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्लू) के तहत चल रहे 05 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह अभियुक्त लंबे समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे थे।

02-संक्षिप्त विवरण:

पुलिस टीम ने वांछित एनबीडब्लू अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वांरटी अभियुक्तों को उनके निवास स्थानों से विभिन्न समयों पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। सभी विधिक कार्यवाहियाँ पूर्ण करने के पश्चात गिरफ्तार अभियुक्तों को संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की अन्य थानों एवं जनपदों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

03-गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के विवरण:

1. **सुभाष चन्द्र**, पुत्र श्री सुरेश चन्द्र, निवासी - विकास बिजनेस सेंटर, 14/2, मुराद अली लेन, उदयगंज, थाना हुसैनगंज, लखनऊ। (आयु लगभग 48 वर्ष)
    - **सम्बन्धित अपराध:** केस संख्या 5241/08, धारा 138 एनआई एक्ट।
2. **मनीष उर्फ मुन्ना,** पुत्र श्री किशन, निवासी - जय नारायण लेन, थाना हुसैनगंज, लखनऊ। (आयु लगभग 38 वर्ष)
    - **सम्बन्धित अपराध:** केस संख्या 9777/12, धारा 324 भा.द.स. (भारतीय दंड संहिता)।
3. **सैय्यद हसन अली,** पुत्र श्री अशफाक हुसैन अली, निवासी - 60/40, हुसैनगंज, थाना हुसैनगंज, लखनऊ। (आयु लगभग 58 वर्ष)
    - **सम्बन्धित अपराध:** केस संख्या 9005/2012, धारा 420 भा.द.स.।

4. **अफसर जहाँ,** पत्नी श्री अताउल्ला, निवासी - 56/212, हाता कामता प्रसाद, बगिया छितवापुर, भुइयां, थाना हुसैनगंज, लखनऊ। (आयु लगभग 55 वर्ष)
    - **सम्बन्धित अपराध**: केस संख्या 5896/17, धारा 498A/323/504/506 भा.द.स. एवं ¾ डीपी एक्ट।
5. **फूलचन्द्र,** पुत्र श्री पूरनवासी, निवासी - 9 ए, हैवलॉक रोड, कबीर मार्ग तिराहा, हुसैनगंज, लखनऊ।
    - **सम्बन्धित अपराध:** वाद संख्या 830/12, धारा 323/504/506 भा.द.स.।
    - **विशेष नोट**: बाद में अभियुक्त फूलचन्द्र के वकील द्वारा थाना पर माननीय न्यायालय का रिकॉल आदेश प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें रिहा कर दिया गया।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 गौरव पाण्डेय, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
2. म0उ0नि0 शिल्पी देवी, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
3. का0 नीरज राजपूत, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
4. का0 सत्यपाल, थाना हुसैनगंज लखनऊ।
5. म0का0 दीक्षा सिहं, थाना हुसैनगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2272
दिनांक 14.09.2025

मध्य जोन/थाना हुसैनगंज

- **अवैध शराब तस्करी में शामिल एक शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से अवैध शराब व 69 नकली क्यूआर कोड, 13 प्रयुक्त क्यूआर कोड सहित अन्य सामान बरामद करते हुये किया गया गिरफ्तार**
- **थाना हुसैनगंज पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम की कार्यवाही।**

01-कार्यवाही:

पुलिस आयुक्त महोदय और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) के निर्देशानुसार, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण तथा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत, पुलिस उपायुक्त (मध्य) के पर्यवेक्षण और अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) तथा सहायक पुलिस आयुक्त (हजरतगंज) के मार्गदर्शन में, थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह के नेतृत्व में हुसैनगंज थाना पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अभियुक्त राम पाल (पुत्र रामलखन पाल, निवासी 68/246, कल्लू पंडित गली, छितवापुर पजावा, थाना हुसैनगंज, लखनऊ) को अवैध शराब के साथ पकड़कर गिरफ्तार किया। अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.09.2025 को आबकारी निरीक्षक कौशलेंद्र रावत अपने स्टाफ के साथ थाना हुसैनगंज क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी और विक्रय रोकथाम हेतु गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक मुखबिर से सूचना मिली कि छितवापुर पजावा के कल्लू पंडित गली में रहने वाला एक व्यक्ति अवैध शराब से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है। सूचना की पुष्टि हेतु आबकारी निरीक्षक प्रदीप कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम तथा थाना हुसैनगंज पुलिस टीम (उपनिरीक्षक वेद प्रकाश यादव एवं कांस्टेबल मनीष कुमार तिवारी) भी मौके पर पहुँची। संयुक्त टीम ने मुखबिर के साथ संदिग्ध स्थल पर पहुँचकर राम पाल को गिरफ्तार किया। घर की तलाशी में निम्नलिखित सामान बरामद हुआ:

- विभिन्न ब्रांड की खाली शराब की बोतलें
- खुली और सीलबंद शराब
- नकली क्यूआर कोड और ढक्कन
- चाकू, लाइटर, फैवीक्विक, सेलो टेप, पेचकस
- एक एंड्रॉयड फोन

03-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने बताया कि वह सस्ती शराब को महंगी ब्रांड की बोतलों में भरकर नकली क्यूआर कोड लगाता था और रात में शराब की दुकानें बंद होने के बाद ग्राहकों को ऊंचे दामों पर बेचता था। उसकी गिरफ्तारी के दौरान सर्वोच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया।

04-अभियुक्त का विवरणः

नामः राम पाल (पुत्र रामलखन पाल)

निवासः 68/246, कल्लू पंडित गली, छितवापुर पजावा, थाना हुसैनगंज, लखनऊ

उम्रः लगभग 40 वर्ष

05-पंजीकृत अभियोगः-

01-मु0अ0सं0- 128/2025, आबकारी अधिनियम की धारा 60 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4)/338/336(2)/340/350, थाना हुसैनगंज, लखनऊ।

06-बरामद सामग्रीः

1. विभिन्न ब्रांड की खाली बोतलें और अद्दा
2. ब्लैक लेवल की एक खुली बोतल (लगभग 700 मिली)
3. ब्लैक डॉग की एक खुली बोतल (लगभग 300 मिली)
4. ब्लेडर प्राइड सीलबंद शीशी (90 मिली)
5. प्लास्टिक की दो बोतलों में लगभग 2 लीटर शराब
6. विभिन्न ब्रांड के 132 ढक्कन
7. 69 नकली क्यूआर कोड
8. 13 प्रयुक्त क्यूआर कोड
9. 3 चाकू
10. 6 लाइटर
11. 3 खुले और बंद फैवीक्विक
12. 2 सेलो टेप
13. 1 पेचकस
14. 1 एंड्रॉयड फोन

07-गिरफ्तारी में शामिल टीमः

1. निरीक्षक कौशलेंद्र रावत, आबकारी विभाग
2. निरीक्षक प्रदीप कुमार शुक्ला, आबकारी विभाग
3. उपनिरीक्षक वेद प्रकाश, थाना हुसैनगंज
4. मुख्य आबकारी सिपाही ओंकार नाथ पांडेय, आबकारी विभाग
5. मुख्य आबकारी सिपाही दीपेश शर्मा, आबकारी विभाग
6. मुख्य आबकारी सिपाही आनंद प्रकाश शुक्ला, आबकारी विभाग
7. कांस्टेबल हनुमान प्रसाद, आबकारी विभाग
8. कांस्टेबल अमित कुमार, आबकारी विभाग
9. कांस्टेबल अवनीश चौधरी, आबकारी विभाग
10. कांस्टेबल मनीष तिवारी, थाना हुसैनगंज

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2278

दिनांक-14.09.2025

जोन- पूर्वी/ थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

केस सं0 689/2017 अ0सं0113/2014 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना गुड़म्बा लखनऊ मा0 न्यायालय स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट लखनऊ से सम्बन्धित नफर वारण्टी संतोष पुत्र श्री चन्द्र रैदास निवासी ग्राम दसौली थाना गुड़म्बा लखनऊ 25 वर्ष व

1. मु0अ0सं0 537/2022 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना देवा जनपद बाराबंकी 2.मु0अ0सं0 241/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम थाना देवा जनपद बाराबंकी तथा वाद सं0 81/2017 अ0सं0 773/2017 धारा 138 भारतीय विद्युत अधिनियम थाना गुड़म्बा लखनऊ मा0न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश से सम्बन्धित एक नफर वारण्टी मो0 शब्बीर पुत्र वली मोहम्मद निवासी ग्राम बेहटा थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र-50 वर्ष को उनके अंकित पते से आज दिनांक 14.09.2025 को उ0नि0 संदीप सिंह गौर, उ0नि0 श्री सौरव सिंह मय हमराही पुलिस बल के मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु गिरफ्तार किया गया जिनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देशय:-

वारण्टी मा0 न्यायालय द्वारा उपस्थित होने हेतु निर्गत आदेश की अवहेलना कर मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा थे।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. संतोष पुत्र श्री चन्द्र रैदास निवासी ग्राम दसौली थाना गुड़म्बा लखनऊ 25 वर्ष
2. मो0 शब्बीर पुत्र वली मोहम्मद निवासी ग्राम बेहटा थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र-50 वर्ष

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना गुडम्बा:-

1. उ0नि0 श्री संदीप सिंह गौर
2. उ0नि0 श्री सौरव सिंह
3. का0 विवेक सिंह

03-अपराध का उद्देश्य:- ठगी करना।

04. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

- **नाम:** सनी उर्फ यश
- **पिता का नाम:** श्री किशन बाबू दीक्षित
- **स्थायी निवास:** मकान नंबर 116, गाड़ीवान करहल रोड, थाना करहल, जनपद मैनपुरी
- **वर्तमान निवास:** बुद्ध नगर, पारा, हंसखेड़ा रोड, थाना पारा (काशीराम कॉलोनी, हंसखेड़ा), जनपद लखनऊ
- **उम्र:** लगभग 36 वर्ष

अनावरित अभियोग:-

1. मु0अ0स0-232/2025 धारा-318(4)/317(2) बी0एन0एस थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ

04-बरामदगी का विवरण:-

1. ठगी से प्राप्त 01 विवो कंपनी का आसमानी रंग का मोबाइल फोन (आईएमईआई 1: 864004069932637)।
2. घटना में प्रयुक्त 01 पल्सर मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर: UP32QV 4034)।
3. नकदी 9,620 रुपये।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना चौक लखनऊ

1. श्री नागेश उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार चौक प्रभारी पाटानाला थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 श्री पंचदेव यादव थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
4. का0 अजय कुमार थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ